पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2015 का विविध आपराधिक वाद सं. 29080

थाना कांड सं.-5 वर्ष-2013 थाना-भभूआ (कैमूर) परिवाद पत्र जिला-कैमूर (भभुआ) से उत्पन्न

==========

1. राजेश सिंह, पुत्र- श्री रंग बहादुर सिंह

2. कुंवर सिंह, पुत्र- स्वर्गीय छबीनाथ सिंह, दोनों निवासी- गाँव मोकरी, थाना- भभूआ, जिला कैमूर।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य

2. शशि भूषण प्रसाद, वन क्षेत्र अधिकारी, वन क्षेत्र-भभुआ, जिला कैमूर।

.... विपक्षी/गण

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री प्रभाकर सिंह, अधिवक्ता

विपक्ष/गण के लिए : श्री जितेंद्र कुमार सिंह, एपीपी

==========

अधिनियम/धाराएं/नियम:

- *वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 9, 27, 32, 41, 50, 55 और 51/52*
- *भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 33*

संदर्भित प्रकरण:

- *मोहम्मद रहमतुल्ला हुसैन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 2006 SCC ऑनलाइन एपी 1548*

याचिका: यह याचिका मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सी.जे.एम.) द्वारा पारित उस आदेश को रद्द करने हेतु दायर की गई थी, जिसमें वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 9, 27, 32, 51/52 तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 33 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है। यह मामला संरक्षित वन क्षेत्र के भीतर आग्नेयास्त्र का प्रयोग कर खरगोश के शिकार से संबंधित है।

निर्णय: धारा 9 के उल्लंघन को आकर्षित करने हेतु यह आवश्यक है कि अनुसूचियों I, II, III और IV में वर्णित किसी संरक्षित वन्य जीव का शिकार किया गया हो। यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना के समय "खरगोश" नामक स्तनधारी प्रजाति उपर्युक्त अनुसूचियों में शामिल नहीं थी। हालांकि, संशोधन अधिनियम, 2022 द्वारा बाद में खरगोश को संरक्षित वन्य जीव की श्रेणी में शामिल किया गया, परन्तु यह संशोधन उस समय लागू नहीं था जब कथित शिकार की घटना हुई थी। साथ ही, खरगोश और खरहे के व्यवहार एवं जीवन शैली में अंतर होने के कारण दोनों को एक ही प्रजाति नहीं माना जा सकता। (अनुच्छेद 6)

जहाँ तक संरक्षित वन क्षेत्र में कथित रूप से प्रवेश करने और वन्य जीवों के लिए खतरनाक विस्फोटक सामग्री के उपयोग की बात है, यह वन्य जीव अधिनियम की धारा 27 और 32 का उल्लंघन माना जा सकता है, जिसके लिए धारा 51 के अंतर्गत दंडनीय प्रावधान है। किंतु इन धाराओं के तहत अभियोजन चलाने हेतु धारा 55 के तहत अधिकृत अधिकारी द्वारा ही शिकायत दर्ज की जानी चाहिए थी।

धारा 55 के अनुसार, केवल मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी ही वैध रूप से शिकायत दायर कर सकते हैं। जबकि, इस मामले में शिकायत "रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर" द्वारा दर्ज की गई, जिनका नाम धारा 55 में निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारियों की सूची में नहीं है। बिहार राज्य सरकार द्वारा 22.01.2014 को जारी अधिसूचना के द्वारा वन रक्षकों को धारा 27(2)(c), 41(1), 50(1) और 55(b) के तहत कार्रवाई हेतु अधिकृत किया गया, परन्तु यह अधिसूचना 10.02.2014 से प्रभावी हुई, जबकि शिकायत 24.03.2013 को दर्ज की गई थी। अतः यह मानना कि यह अधिसूचना पूर्व प्रभाव से लागू थी, विधिसम्मत नहीं है। (अनुच्छेद 6)

साथ ही, आक्षेपित आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 का उल्लंघन कैसे हुआ। (अनुच्छेद 6)

याचिका स्वीकृत की जाती है। (अनुच्छेद 6)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

सीएवी निर्णय

तिथि : 03-04-2025

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री प्रभाकर सिंह और राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान स.लो.अ. श्री जितेंद्र कुमार सिंह को सुना।

2. तत्काल याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 (संक्षेप में दं.प्र.सं.) के तहत दायर की गई है, जिसमें मु. न्याय. दं. , भभुआ की

अदालत द्वारा 2013 के परिवाद वाद संख्या 5 (ओ) में पारित दिनांकित 07.04.2015 आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसके द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (संक्षेप में 'डब्ल्यू. एल. अधिनियम') की धारा 9,27,32 और 51/52 के तहत और भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 33 के तहत लघु 'वन अधिनियम') याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान लिया गया है।

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री प्रभाकर सिंह ने प्रस्तुत किया कि दोनों याचिकाकर्ताओं ने एक ही मामले से संबंधित वन मामला संख्या 62/2009 में पारित संज्ञान के आदेश को चुनौती देते हुए 2011 की आपराधिक विविध संख्या 15622 दायर की , जिसे मुख्य रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए अनुमति दी गई थी कि वनपाल, जिसने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ परिवाद दर्ज की थी, डब्ल्यूएल अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए अधिकृत नहीं था और संबंधित प्राधिकारी को डब्ल्यूएल अधिनियम के तहत उचित कदम उठाने की स्वतंत्रता दी गई थी और उसके बाद ही वन क्षेत्र अधिकारी द्वारा एक नया परिवाद वाद संख्या 5 (ओ)/2013 दर्ज किया गया था। , जो डब्ल्यू. एल. अधिनियम की धारा 55 के प्रावधानों के तहत उक्त परिवाद दर्ज करने के लिए सक्षम व्यक्ति भी नहीं था, परिवाद उक्त धारा में उल्लिखित किसी भी अधिकारी द्वारा दर्ज की जानी चाहिए थी और डब्ल्यू. एल. अधिनियम की धारा 55 (बी) के अनुसार, मुख्य वन्यजीव वार्डन परिवाद दर्ज करने के लिए वन विभाग के सक्षम अधिकारियों में से एक था, हालांकि धारा 55 (बी) के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी कथित गलत के संबंध में परिवाद दर्ज कर सकता था।लेकिन निश्चित रूप से, मुख्य वन्यजीव वार्डन सहित किसी भी

निर्धारित अधिकारी ने परिवाद दर्ज नहीं की, बल्कि यह वन क्षेत्र अधिकारी, जो परिवाद दर्ज करने के लिए सक्षम व्यक्ति भी नहीं थे, द्वारा दायर की गई थी। हालांकि वन विभाग द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के अनुसार, परिवादी वन क्षेत्र अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा डब्ल्यू. एल. अधिनियम की धारा 27 (2) (सी), 41 (1), 50 (1) और 55 (बी) के तहत कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया था, लेकिन इस संबंध में संबंधित अधिसूचना 22.01.2014 को जारी की गई थी, जबकि उक्त अधिसूचना जारी करने से पहले 24.03.2013 को नई परिवाद दर्ज की गई थी, हालांकि उक्त अधिसूचना की अंतिम दो पंक्तियों के अनुसार, अधिसूचना को पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी बनाया गया था और डब्ल्यू. एल. अधिनियम के प्रावधानों के तहत शुरू की गई सभी पिछली कार्यवाही को शामिल किया गया था। उस अधिसूचना द्वारा जो पूरी तरह से अवैध है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि तत्काल मामला खरगोश के शिकार से संबंधित है, लेकिन उक्त जानवर का नाम डब्ल्यू. एल. अधिनियम की किसी भी अनुसूची में जगह नहीं पाता है, हालांकि, खरहा को डब्ल्यू. एल. अधिनियम की अनुसूची IV में शामिल किया गया है, लेकिन खरगोश और खरहा के बीच बहुत अंतर है और दोनों स्तनधारियों में उनके व्यवहार और जीवन शैली को देखते हुए समानता की तुलना में अधिक अंतर हैं।याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा अंत में यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान निचली अदालत ने डब्ल्यू. एल. अधिनियम की धारा 9,27 और 32 के तहत संज्ञान लिया है, लेकिन इनमें से किसी भी धारा में कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है, जो विद्वत मजिस्ट्रेट द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते हुए न्यायिक विवेक का उपयोग न करने को भी दर्शाता है। इसके अलावा, दोनों याचिकाकर्ता कथित शिकार में शामिल नहीं थे और उन्हें कथित स्थान पर गिरफ्तार नहीं किया गया था और उन्हें मुख्य रूप

से घटना के स्थान पर पकड़े गए सह-अभियुक्त के कब्जे में एक वाहन और एक बंदूक की उपलब्धता और खोज के आधार पर आरोपी बनाया गया है, जो याचिकाकर्ताओं को कथित मामले में आरोपी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

4. उपरोक्त तर्क के समर्थन में कि खरगोश खरहा से अलग है और डब्ल्यूएल अधिनियम की धारा 51 के तहत दंडात्मक प्रावधान डब्ल्यूएल अधिनियम के तहत संरक्षित नहीं होने के कारण लागू नहीं होते हैं, विद्वान वकील ने हैदराबाद में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक आदेश पर भरोसा किया है जो मोहम्मद के मामले में पारित किया गया था। **मोहम्मद रहमतुल्लाह हुसैन बनाम ए. पी. राज्य 2006 एस. सी. सी. ऑनलाइन एपी 1548** में सूचित किया गया और प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या **6** से **8,** जिन पर निर्भरता रखी गई है, को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः

> *"**6.** अनुसूची I की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मद संख्या **11** में **"हिस्पिड खरहे (कैप्रोगस हिस्पिडस)"** लिखा है। खरहे की परिभाषा के संबंध में, विद्वान वकील ने "द वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया" पर मजबूत निर्भरता रखी, जिसमें इसे नीचे कहा गया हैः*
>
> *"खरहे एक लंबी कान वाला स्तनपायी है जिसके शक्तिशाली पिछले पैर और एक छोटी, रूखी पूंछ है।खरहा खरगोशों से संबंधित होते हैं और अक्सर उनके साथ भ्रमित होते हैं।लेकिन खरगोश कई तरीकों से खरहा से अलग हैं। खरहा जमीन पर या खरोंच वाले अवसाद में जन्म देते हैं जिसे एक रूप कहा जाता है। बच्चे जन्म से ही रोयें से ढके होते हैं और उनकी आँखें खुली होती हैं।खरगोश एक*

रोयें -लाइन वाले घोंसले में नग्न और अंधे पैदा होते हैं। खरहा कभी भी कई खरगोशों की तरह गड्ढे नहीं खोदते हैं।इसके अलावा, खरगोश आमतौर पर तेजी से कूदकर अपने दुश्मनों से बचने की कोशिश करते हैं।

खरगोश आमतौर पर दुश्मनों से छिपने की कोशिश करते हैं।बेल्जियन खरहा वास्तव में एक प्रकार का खरगोश है।उत्तरी अमेरिकी स्नो-शू खरगोश और जैक खरगोश वास्तव में खरहा हैं।

अधिकांश खरहा शुद्ध सफेद पेट के साथ भूरे-भूरे रंग के होते हैं। कुछ प्रकार के खरहा जो ठंडी जलवायु में रहते हैं, सर्दियों के दौरान पूरी तरह से सफेद हो जाते हैं।सबसे बड़े खरहा लगभग 70 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और साढ़े तीन किलोग्राम से अधिक वजन तक पहुंच सकते हैं।

हैरेस कोर्ट और वसंत में साथी से मिलते हैं। प्रेम प्रसंग के दौरान, वे अक्सर हवा में कूदते और मुड़ते हैं।यह व्यवहार "मार्च खरहा के रूप में बनाया गया"वाक्यांश की व्याख्या कर सकता है।" युवा खरहा को लीवरेट्स कहा जाता है।एक के आम तौर पर पाँच से कम बच्चे होते हैं, लेकिन एक वर्ष में सात बच्चे तक हो सकते हैं।

खरहा दिन में आराम करते हैं और आम तौर पर रात और सुबह भोजन की तलाश करते हैं।खरगोश पौधों को खाते हैं और उनके लंबे कान, लंबे पैर और ऊपर की ओर रुख हो सकता है। वे आम तौर पर खुले देश या जंगल के किनारे पर रहते हैं। उनके बच्चे जमीन में एक उथले खोखले में पैदा होते हैं।

खरगोश *एक रोएँदार जानवर है जिसके लंबे कान और छोटी, रोएँदार पूँछ होती है। खरगोश न तो चलते हैं और न ही दौड़ते हैं, जैसा कि ज़्यादातर चार पैरों वाले जानवर करते हैं। खरगोश अपने पिछले पैरों पर उछलकर चलता है, जो उसके अगले पैरों से ज़्यादा लंबे और मज़बूत होते हैं। जानवर चलते समय अपने अगले पैरों का भी इस्तेमाल करता है। खरगोश अपने अगले पैरों पर संतुलन बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लोग छलांग लगाते समय अपने हाथों पर संतुलन बनाते हैं। जब कोई दुश्मन उनका पीछा करता है, तो खरगोश 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से उछल सकता है। कई बच्चों के पास पालतू खरगोश होते हैं। पालतू जानवरों की दुकानें पालतू खरगोश बेचती हैं जिन्हें पालतू जानवर के तौर पर पाला जाता है।*

खरगोश अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका में रहते हैं और दुनिया के अन्य भागों में भी पाए जाते हैं। अधिकांश प्रजातियाँ खेतों और घास के मैदानों में अपना घर बनाती हैं जहाँ वे अपने बच्चों को झाड़ियों के नीचे या ऊँची घासों के बीच छिपा सकती हैं। एक मादा खरगोश आमतौर पर एक बार में चार या पाँच बच्चे देती है और हर साल कई बार बच्चे को जन्म दे सकती है।

एक युवा कॉटनटेल *खरगोश शिकारियों से बचने के लिए बिना हिले-डुले बैठा रहता है, लेकिन अगर वे पास आ जाएँ तो जल्दी से उछलकर भाग जाता है।*

7. *याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने "रीडर्स डाइजेस्ट यूनिवर्सल डिक्शनरी" पर भी भरोसा किया, जिसमें लैटिन शब्द 'हिस्पिडस' में*

संक्षेपित शब्द 'हिस्पिर' के तहत बाल प्रक्रिया के लिए एक संदर्भ दर्शाया गया है, जो इस प्रकार है: "हिस्पिड (हिस्पिड) विशेषण। कठोर या खुरदरे बालों से ढका हुआ; कंटीला: हिस्पिड तना। (लैटिन हिस्पिडस)"

***8.** उक्त अधिनियम के भाग 1 की अनुसूची-I **स्तनधारियों** से संबंधित है और यह गंभीर विवाद का विषय नहीं है कि खरगोश को उक्त अनुसूची में स्थान नहीं मिला है। इसके मद्देनजर, उक्त अधिनियम की धारा 9 और 51 के तहत प्रावधान लागू नहीं हो सकते हैं और इसलिए कार्यवाही जहां तक वे वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत कथित अपराधों से संबंधित हैं, रद्द किए जाने योग्य हैं और तदनुसार, उन्हें रद्द किया जाता है।*

***5.** दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील श्री जितेंद्र कुमार* सिंह ने इस याचिका का जोरदार विरोध किया है और कहा है कि पशु खरगोश और खरहा के बीच थोड़ा अंतर है और दोनों को स्तनपायी की एक ही प्रजाति माना जा सकता है और एक साथ संरक्षित वन्य जीव पशु के दायरे में आते हैं। जहां तक एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवाद दर्ज करने का संबंध है, दिनांक 22.01.2014 की अधिसूचना के अनुसार, क्षेत्र वन अधिकारी, भभुआ उस समय परिवाद दर्ज करने के लिए एक सक्षम व्यक्ति थे और उन्होंने संभागीय वन अधिकारी (डी. एफ. ओ.), कैमूर की मंजूरी से परिवाद दर्ज की और इस संबंध में, वन विभाग द्वारा जवाबी हलफनामे के साथ दायर अनुलग्नक-'आर/1'और 'आर/2'पर विचार किया जा सकता है।

6. दोनों पक्षों को सुना, आदेश और अन्य प्रासंगिक सामग्रियों का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के आरोप के अनुसार, वर्तमान मामला संरक्षित वन क्षेत्र के अंदर 5 से 6 व्यक्तियों द्वारा आग्नेयास्त्र का उपयोग करके खरगोश का शिकार करने से संबंधित है। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने वन्य पशु अधिनियम की धारा 9, 27, 32 और 51/52 के तहत और वन्य पशु अधिनियम की धारा 33 के तहत याचिकाकर्ताओं और अन्य के खिलाफ संज्ञान लिया है। वन्य पशु अधिनियम की धारा 9 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अनुसूची I, II, III और IV में निर्दिष्ट किसी भी जंगली जानवर का शिकार नहीं करेगा, सिवाय धारा 11 और 12 के तहत प्रदान किए गए।

वन्य पशु अधिनियम की धारा 27 में कहा गया है:-

"अभयारण्य में प्रवेश पर प्रतिबंध - (1) कोई भी व्यक्ति, सिवाय -

(क) ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक,

(ख) ऐसा व्यक्ति जिसे मुख्य वन्य जीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभ्यारण्य की सीमाओं के भीतर निवास करने की अनुमति दी गई हो,

(ग) ऐसा व्यक्ति जिसका अभ्यारण्य की सीमाओं के भीतर अचल संपत्ति पर कोई अधिकार हो,

(घ) सार्वजनिक राजमार्ग के साथ अभ्यारण्य से गुजरने वाला व्यक्ति, और

(ङ) खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति के आश्रित, धारा 28 के तहत दिए गए परमिट की शर्तों के अनुसार ही अभ्यारण्य में प्रवेश करेंगे या निवास करेंगे।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जब तक वह अभ्यारण्य में निवास करता है, तब तक -

(क) अभ्यारण्य में इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध के होने को रोकने के लिए बाध्य होगा;

(ख) जहां यह मानने का कारण हो कि ऐसा कोई अपराध हुआ है इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध को ऐसे अभ्यारण्य में अंजाम दिया गया है, तो अपराधी को खोजने और गिरफ्तार करने में सहायता करना;

(ग) किसी जंगली पशु की मृत्यु की सूचना देना और उसके अवशेषों को तब तक सुरक्षित रखना जब तक कि मुख्य वन्य जीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी उसका कार्यभार ग्रहण न कर ले;

(घ) ऐसे अभ्यारण्य में किसी आग को बुझाना जिसके बारे में उसे जानकारी या ज्ञान हो और अपने अधिकार में किसी वैध साधन द्वारा ऐसे अभ्यारण्य के आसपास किसी आग को फैलने से रोकना जिसके बारे में उसे जानकारी या ज्ञान हो; और

(ङ) इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध को होने से रोकने या ऐसे किसी अपराध की जांच में सहायता मांगने वाले किसी वन अधिकारी, मुख्य वन्य जीव संरक्षक, वन्य जीव संरक्षक या पुलिस अधिकारी की सहायता करना।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी अभ्यारण्य के सीमा-चिह्न को नुकसान पहुंचाने या भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) में परिभाषित गलत लाभ उठाने के इरादे से ऐसे सीमा-चिह्न को नहीं बदलेगा, नष्ट नहीं करेगा, स्थानांतरित नहीं करेगा या विरूपित नहीं करेगा।

(4) कोई भी व्यक्ति किसी जंगली जानवर को नहीं छेड़ेगा या परेशान नहीं करेगा या अभ्यारण्य के मैदान में गंदगी नहीं फैलाएगा।

वन्यजीव अधिनियम की धारा 32 में कहा गया है कि "कोई भी व्यक्ति किसी अभयारण्य में ऐसे रसायनों, विस्फोटकों या किसी अन्य पदार्थ का उपयोग नहीं करेगा, जिससे ऐसे अभयारण्य में किसी भी वन्यजीव को चोट लग सकती है या खतरा हो सकता है।

वन्यजीव अधिनियम की धारा 51 के प्रावधानों द्वारा उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन दंडनीय अपराध बना दिया गया है। वन्यजीव अधिनियम की धारा 9 के उल्लंघन को आकर्षित करने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि अनुसूची I, II, III और IV में निर्दिष्ट और विस्तृत किसी वन्यजीव का शिकार किया गया है। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि कथित अपराध किए जाने के समय वन्यजीव अधिनियम की स्तनधारियों से संबंधित अनुसूची I से IV में स्तनधारी प्रजाति खरगोश को जगह नहीं मिली थी, हालांकि बाद में वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 की अनुसूची IV के परिशिष्ट I में संशोधन के माध्यम से स्तनधारी खरगोश को शामिल किया गया और उसे संरक्षित वन्यजीव बनाया गया, लेकिन जब खरगोश के शिकार से संबंधित कथित अपराध किया गया था, तब उक्त संशोधन लागू नहीं था। तथा खरगोश और खरहा के व्यवहार और जीवन शैली के संबंध में अंतर को देखते हुए, दोनों को स्तनपायी की एक ही प्रजाति नहीं माना जा सकता। यद्यपि याचिकाकर्ताओं और सह-आरोपी व्यक्तियों द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र में कथित प्रवेश और कथित वन क्षेत्र में वन्यजीवों को खतरे में डालने वाली विस्फोटक सामग्री का उपयोग वन्यजीव अधिनियम की धारा 27 और 32 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जा सकता है, जिसके लिए वन्यजीव अधिनियम की धारा 51 के तहत दंडात्मक प्रावधान है, लेकिन याचिकाकर्ताओं पर उक्त उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाने के लिए वन्यजीव अधिनियम की धारा 55 में उल्लिखित अधिकारियों में से किसी

एक द्वारा परिवाद दर्ज की जानी चाहिए थी। वन्य जीव अधिनियम की धारा 55 के प्रावधानों के अनुसार मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक अथवा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वर्तमान मामले में परिवाद दर्ज करा सकता था, लेकिन यह सच है कि वन्य जीव प्रतिपालक अथवा वन्य जीव प्रतिपालक अधिनियम की धारा 55 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम किसी अन्य अधिकारी ने उक्त परिवाद दर्ज नहीं कराई, बल्कि परिवाद रेंज वन अधिकारी, भभुआ द्वारा दर्ज कराई गई, जिनका विशिष्ट पद नाम परिवाद दर्ज कराने के लिए सक्षम होने के कारण वन्य जीव प्रतिपालक अधिनियम की धारा 55 में स्थान नहीं पाता है। यद्यपि राज्य द्वारा दिए गए बचाव के अनुसार, बिहार राज्य सरकार ने दिनांक 22.01.2014 की अधिसूचना द्वारा वन रेंजरों (वन के क्षेत्र पदाधिकारी) को धारा 27(2)(सी), 41(1), 50(1) एवं 55(बी) के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया था, लेकिन यह स्पष्ट है कि अधिसूचना दिनांक 10.02.2014 को लागू हुई, जबकि परिवाद रेंज वन अधिकारी द्वारा दिनांक 24.03.2013 को दायर किया गया था और इस संबंध में विद्वान एपीपी ने यह बचाव किया है कि उक्त अधिसूचना वन्यजीव अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों के संबंध में पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी की गई थी, लेकिन उक्त बचाव स्वीकार्य नहीं है और यह कानून की स्थापित स्थिति के अनुसार नहीं है और जहां तक वन अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत संज्ञान का संबंध है, अभियोजन पक्ष ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत संज्ञान का कोई साक्ष्य नहीं दिखाया है। 1927, इस मामले में वन अधिनियम की धारा 33 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन कैसे किया गया है और इस संबंध में, आक्षेपित आदेश पूरी तरह से मौन है और कुछ नहीं कह रहा है। इस प्रकार, इस तथ्य पर

विचार करते हुए कि कथित घटना के समय, स्तनपायी प्रजातियों में से एक खरगोश को संरक्षित वन्य जीव अधिनियम की किसी भी अनुसूची में जगह नहीं मिली थी, जिससे इसे संरक्षित वन्य जीव बनाया जा सके और इसके अलावा, रेंज वन अधिकारी द्वारा परिवाद दर्ज करना, क्योंकि वह परिवाद दर्ज करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है, पूरी तरह से वन्य जीव अधिनियम की धारा 55 के अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन है, यह न्यायालय कथित अपराध का संज्ञान लेने के लिए आक्षेपित आदेश को कानून की नजर में बुरा और टिकाऊ नहीं मानता है और वन विभाग को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नई परिवाद दर्ज करने की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन उक्त स्वतंत्रता का वन विभाग द्वारा उचित रूप से उपयोग नहीं किया गया है, इस प्रकार, आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया गया है और तत्काल याचिका को अनुमति दी गई है।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

वार्षिकी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।